भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1780
दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

वन स्टॉप सेंटर योजना

1780. श्री श्याम सिंह यादव:
श्री बी.एन. बचेगौडा:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार देश में वन स्टॉप सेंटर योजना कार्यान्वित कर रही है;
(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;
(ग) इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उत्तर प्रदेश सहित देश में निर्भया कोष के अंतर्गत स्थापित वन स्टॉप केंद्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख)**:** जी हां। निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं और विपदाग्रस्त महिलाओं को एकीकृत समर्थन सहायता प्रदान करने और एक छत के नीचे चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श सहित सेवाओं की एकीकृत रेंज प्रदान करने के लिए के लिए 01 अप्रैल, 2015 से वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्कीम अस्तित्व में आई। अब ओएससी स्कीम को मिशन शक्ति के तहत उप-स्कीम सम्बल के घटक के रूप में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) **:** वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 ओएससी सहित देशभर में 730 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) कार्यशील हैं। कार्यशील ओएससी तथा स्कीम/घटक के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

'वन स्टॉप सेंटर योजना' विषय पर श्री श्याम सिंह यादव और श्री बी.एन. बचेगौडा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1780 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में संदर्भित विवरण

कार्यशील वन स्टॉप सेंटर और ओएससी स्कीम/घटक के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील ओएससी की संख्या	जारी की गई कुल निधियां* (लाख रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	221.28
2	आंध्र प्रदेश	13	1791.5
3	अरुणाचल प्रदेश	24	1931.28
4	असम	33	3127.92
5	बिहार	38	2831.33
6	चंडीगढ़	1	119.02
7	छत्तीसगढ़	27	3474.15
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3	291.69
9	दिल्ली	11	903.27
10	गोवा	2	156.08
11	गुजरात	33	3713.47
12	हरियाणा	22	2043.27
13	हिमाचल प्रदेश	12	871.68
14	जम्मू और कश्मीर	20	998.17
15	झारखंड	24	2402.5
16	कर्नाटक	30	2744.19
17	केरल	14	1072.23
18	लद्दाख-यूटी	2	114.87
19	लक्षद्वीप	1	43.41
20	मध्य प्रदेश	52	5978.74
21	महाराष्ट्र	37	3033.34
22	मणिपुर	16	2060.77
23	मेघालय	11	1213.93
24	मिजोरम	8	1221.48
25	नागालैंड	11	1884.56
26	ओडिशा	30	3415.09
27	पुद्दुचेरी	4	305.35
28	पंजाब	22	2230.86
29	राजस्थान	33	3009.48
30	सिक्किम	4	408.22
31	तमिलनाडु	38	3570.7
32	तेलंगाना	33	3873.97
33	त्रिपुरा	8	690.91
34	उत्तर प्रदेश	75	8259.1
35	उत्तराखंड	13	1401.2
36	पश्चिम बंगाल	22	550.09
	कुल	**730**	71959.18

***वित्त वर्ष 2015-16 से 30.11.2022 तक**

*****